प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट रामपुरा उर्फ रामसरा)

1. दलीप कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।

–वादी

बनाम्

1. काशीराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
2. धर्मपाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
3. ताराचन्द पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
4. चरणसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
5. सरबती देवी पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
6. कौशल्या पुत्री काशीराम पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

– प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बरः–159/2018
अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
निर्णय दिनांकः–14.5.2018

वादी की ओर से मदनसिंह बुरड़क एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से नरेन्द्र कुमार चिनियां एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.5.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः–प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 2 आरडब्ल्यूडी जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 14/16 में कुल 0.595 है. अनकमाण्ड व चक नं. 1 आरडब्ल्यूडी जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 3/6 में कुल 6.326 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब अर्थात 1/5 हिस्सा कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता व चक नं. 1 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 3/6 व चक नं. 2 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 14/16 में से प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 14.5.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	1000/–	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1000/.	जोड़	0